

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
[भर्ती प्रकोष्ठ]  
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES  
[[RECRUITMENT CELL]]

सं.मि.2-3/2022-स्था. (भर्ती) (खंड III)  
No.F.2-3/2022-Estt.(RCT) (Vol.III)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29  
Ansari Nagar, New Delhi-29  
दिनांक:

22 FEB 2023

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति।  
Subject: Promotion to the post of Executive Engineer (Civil) at the AIIMS, New Delhi.

\*\*\*\*\*

दिनांक 28.01.2023 को हुई कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति बैठक की सिफारिश के परिणाम स्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, निम्नलिखित सहायक अभियंता (सिविल) को पे मेट्रिक्स के लेवल-11 में कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद का एन.सी.आई., झज्जर में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee in its meeting held on 28<sup>th</sup> January 2023 and its acceptance by the Competent Authority, the following Assistant Engineer (Civil) is promoted to the post of Executive Engineer (Civil) in the Level-11 of the pay matrix from the date he assume the charge to the post of Executive Engineer (Civil) at NCI, Jhajjar:-

क्र.सं./ Sr. No.	नाम/ Name	Category	Considered against the category	विभाग / अनुभाग Department/ Section
1.	श्री सुनील कुमार/ Sh. Sunil Kumar	Gen.	UR	ई.एस.डी/ESD

श्री सुनील कुमार को सलाह दी जाती है कि यदि वह 07 दिनों के अंदर एन.सी.आई., झज्जर में कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर पदभार ग्रहण करने में असफल होते हैं तो कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर उनकी पदोन्नति को रद्द/वापस माना जाएगा। डी.ओ.पी.टी. के दिशानिर्देशों के द्वारा यदि कोई उम्मीदवार ऐसे मामलों में निधारित अवधि के भीतर पदोन्नति स्वीकार नहीं करता तो पदोन्नति को अस्वीकार करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि या अगली रिक्ति आने तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।

Sh. Sunil Kumar is advised to join the post of Executive Engineer (Civil) at NCI Jhajjar, with SEVEN (07) days failing which the offer of promotion made to him will be treated as cancelled/withdrawn. It is also informed that in terms of DoP&T guidelines, if any candidate refuses to join the new post on promotion within stipulated period in such cases, he will not be considered for promotion for a period of one year from the date of refusal of such promotion or till a next vacancy arises, whichever is later.

वह कार्यपालक अभियंता (सिविल) का पदभार ग्रहण करने की तिथि से, दिल्ली/नई दिल्ली/ बडसा, झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी., गाज़ियाबाद और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुशल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

He will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar, and NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabgarh (Haryana) and at any other centre opened by the Institute in future, from the date he assume the charge to the post of Executive Engineer (Civil).

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया हो।

He is advised to exercise his option for fixation of pay under FR-22(I) either from the date of his promotion to the post or from the date of drawl of his next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided he have not been granted financial up-gradation under ACP/MACP Scheme.

उनकी सेवाएं वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र (गाजियाबाद), एन.सी.आई., बाढसा, झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य में खोले जाने वाले किसी अन्य केंद्र में स्थानांतरणीय हैं। उन्हें शिफ्ट में सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता है।

His services are transferable to the other centre facilities presently located at Ballabhgarh (haryana), National drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Badsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. He can be asked to perform duties in shifts also.

कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति का कार्यालय आदेश SLP No. 30621/2011 के परिणाम और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अन्य संबंधित मामले या इस सम्बन्ध में DoPT द्वारा जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

The office order of promotion to the post of Executive Engineer (Civil) is subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

वह दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि के दौरान उन्हें संतोषजनक सेवाएँ प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाएँ किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये अथवा बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी।

He will be on probation for a period of two years. During the period of probation, he will be required to put in satisfactory service failing which his services will be liable to be reverted at any time without any notice or reason being assigned for the same.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and conditions of his service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.



[राजेंदर सिंह / RAJENDER SINGH]

प्रशासनिक अधिकारी / ADMINISTRATIVE OFFICER

श्री सुनील कुमार/ Sh. Sunil Kumar, AE (Civil)

द्वारा: अधीक्षक अभियंता

Through:- Superintending Engineer

प्रतिलिपि/Copy to:-

- 1) अधीक्षक अभियंता/ Superintending Engineer
- 2) अधीक्षक अभियंता, एन.सी.आई., झज्जर/ Superintending Engineer, NCI, Jhajjar
- 3) स्थापना अनुभाग (नि.का)/एन.सी.आई., झज्जर/Establishment Section (DO)/ NCI, Jhajjar
- 4) लेखा अनुभाग-II एवं III, एन.सी.आई., झज्जर/Accounts Section II & III, NCI, Jhajjar
- 5) निदेशक/अपर निदेशक (प्रशा.)/उप सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव/व्यक्तिगत सहायक/PPS/PS/PA to Director/ADA/DS/CAO
- 6) सामान्य अनुभाग/सम्पदा अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग/सतर्कता प्रकोष्ठ  
General Section/Estate Section/Legal Cell/GPF Section/Vigilance Cell
- 7) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला प्रकोष्ठ/ई.एच.एस.प्रकोष्ठ  
ACR's Cell /SC/ST/OBC/Women Cell/EHS Cell
- 8) संरक्षण मिसिल/Guard File  
Professor-in-charge Computer Facility-with the request to upload the same on Institute website